भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह, विल्लिंग्टन आईलेंड, कोच्चिन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Sevottam Compliant An IS 15700 certified Custom House

Website: www.cochincustoms.gov.in
E-mail: commr@cochincustoms.gov.in
Control Room: 0484-2666422
Fax: 0484-2668468
Ph: 0484-2666861-64/774/776

F.No. S65/04/2018-19 CCU दिनांक **Dated: 27/12/2018**

कार्यालय आदेश संख्या OFFICE ORDER No. 66/2018

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड के अध्यक्ष का दिनांक 08/12/2018 को कोचीन अंतरर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, नेदुम्बासेरी एवं इंटनरेशनल कंटेनर ट्रांसिपमेंट टर्मिनल, वल्लारपाडम के आगमन की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Attention is invited to the visit of Chairman CBIC visit to Cochin International Airport, Nedumbassery and International Container Transhipment Terminal (ICTT), Vallarpadam on 08.12.2018.

अधिकारियों एव हितधारकों से बातचीत के दौरान, अध्यक्ष महोदय ने कुछ सलाह दिया था जिसे निम्नलिखित निर्देशों के रूप में जारी किया जाता है:

During the interaction with the officers and stakeholders, the Chairman has made some suggestions, which are issued in the form of the following instructions.

1. एयरपोर्ट पर ड्यूटी करने वाले सभी अधिकारी जनता/सामान की तलाशी करते समय हमेशा दास्ताने/मास्क पहनेंगे जिससे कि संक्रमण एवं स्वास्थ्य से संबंधित दूसरे मामलों से बचा जा सके।

   All the officers in Airport Duty shall invariably wear Gloves / Mask wherever interaction between the public and while frisking Passenger/Baggage are involved to avoid infections and other health issues.

2. सहायक आयुक्त, कंटेनर स्कैनिंग डिवज़न को यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि परीक्षण आदेश के अनुसार चयनित कंटेनरों के भौतिक परीक्षण/आर. एम. एस. निर्देश जैसा लागू हो, के अलावा

सभी कंटेनर जिसमें मेटल स्क्रैप एवं अन्य स्क्रैप/अपशिष्ट हों उनको सी. एफ. एस./वेयरहाऊस जाने से पहले सर्वदा स्कैन किए जाएं।

The Assistant Commissioner, Container Scanner Division is required to ensure that all containers containing consignments of Metal Scraps and other Scraps/Waste are invariably scanned prior to movement of the containers to the CFS/Warehouse in addition to the mandatory physical examination of the selected containers as per the examination order/RMS instructions as applicable.

3. इस आदेश के जारी किये जाने के 60 दिन के अंदर एयरपोर्ट, सी.एस.डी. एवं एफ.पी.ओ. पर सी.सी.टी.वी. की संस्थापन एवं प्रचालन के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं जिससे कि सीमाशुल्क क्षेत्र में या कंटेनर स्कैनिंग के दौरान क्रियाकलापों की पूर्ण विस्तृत सूचना एवं मानीटरन सुनिश्चित की जा सके।

Immediate steps for installation and operation of CCTV in Airport, CSD & FPO to ensure complete coverage and monitoring of activities in Customs Area or during container scanning will be done within 60 days of the issue of the order.

अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि आदेश का पालन पूर्ण रूप से किया जाये।

The officers are directed to follow the instruction scrupulously.

-sd-

(सुमित कुमार Sumit Kumar)

सीमाशुल्क आयुक्त Commissioner of Customs

अभिप्रमाणित **Attested**

27/12/18

(टी. पवित्रन **T. Pavitran**)

सीमाशुल्क अधीक्षक (निवारक) सीसीयू

Superintendent of Customs (Prev.) CCU

प्रतिलिपि Copy to:-

आयुक्त की फ़ाइल/ अपर आयुक्त / संयुक्त आयुक्त/ सभी उप/ सहा.आयुक्त/ रसायन परीक्षक/ सहा.निदेशक सहा मुख्य लेखा अधिकारी/ वेतन व लेखा अधिकारी/ सभी अनुभाग (पी ए डी, ए सी सी, हवाई अड्डा, आर एवं आई विंग सहित), सूचना पट्ट.

Commissioner's file/ Addl. Commissioner/ Joint Commissioner/ All Deputy/ Asst. Commissioner's/ Chemical Examiner/ Asst. Director/ ACAO / PAO/ All Sections including PAD, ACC, Airport, R&I Wing of CCP, Notice Board.

Received on 27/12/18 को प्राप्त
पत्राचार विभाग
Correspondence Dept.
सीमाशुल्क गृह, कोच्चीन - 9
Custom House, Kochi - 9
4pm